न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू(राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या–07/2019

कुरड़ाराम पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी दोरासर तहसील व जिला झुंझुनू।
–निगरानीकार

–बनाम–

1. रामदेव पुत्र नोरंगराम जाति जाट निवासी दोरासर तहसील व जिला झुंझुनू।
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुलोद कला तहसील व जिला झुंझुनू।

–गैर निगरानीकार

निगरानी अं0धारा 97 राज0 पंचायती राज अधि01994 बखिलाफ विरूद्ध आदेश दिनांक 3.07.2017 बाबत निरस्त किये जाने पट्टा

उपस्थितिः–

1. श्री विनोद कुमार गिल,एडवोकेट ---- ------निगरानीकार की ओर से।
2. श्री मुकर्रम अंसारी, एडवोकेट-------------गैर निगरानीकार नं0 1 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 28.02.2023

उक्त निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 03.07.2017 ग्राम पंचायत कुलोदकलां बाबत निरस्त किये जाने पट्टा गैर निगरानीकार रामदेव के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि– गैर निगरानीकार नंबर 1 रामदेव ने अपने नाम से एक पट्टा दिनांक 03.07.2017 को ग्राम पंचायत कुलोद कला से प्राप्त किया। उक्त पट्टा गलत तथ्यों के आधार पर बनाकर दिया है। निगरानीकार व गैर निगरानीकार नंबर 1 तथा परिवार के अन्य व्यक्तियों की शामलाती आबादी भूमि है, जिसके विशेष हिस्से का पट्टा गैर निगरानीकार नंबर 1 ने ग्राम पंचायत से प्राप्त कर लिया। उक्त पट्टा बनवाते समय निगरानीकार व अन्य हिस्सेदारों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही कोई सूचना दी गई। शामलाती भूमि का आपसी कोई विभाजन नहीं हुआ है। गैर निगरानीकार उक्त पट्टे के आधार पर बिना विभाजन पुश्तैनी शामलाती भूखण्ड को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 17:02:15 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुन्झुनू

विक्रय करना चाहता है जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है। पंचायत ने उक्त भूखण्ड का नाप व हदुद भी गलत दर्ज कर रखी हैं। नियमों के विरूद्ध जाकर पट्टा जारी किया गया है। गैर निगरानीकार नंबर 1 का जितनी भूम का पट्टा बनाया है उतना हिस्सा भी नहीं बनता है। उक्त पट्टा अस्तित्व में रहने से निगरानीकार गंभीर रूप से प्रभावित होता है। उक्त पट्टा गैर निगरानीकार नंबर 1 ने तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया है, इसलिए निगरानीकार उक्त गलत बने पट्टे को निरस्त करवाने का अधिकारी है जिसका आज तक पंजीयन भी नहीं हुआ है। अंत में निगरानी स्वीकार कर गैर निगरानीकार रामदेव के हक में दिनांक 03.07.2017 को जारी पट्टा निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि गैर निगरानीकार नंबर 1 रामदेव ने अपने नाम से एक पट्टा दिनांक 03.07.2017 को ग्राम पंचायत कुलोद कला से गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया। निगरानीकार व गैर निगरानीकार नंबर 1 तथा परिवार के अन्य व्यक्तियों की शामलाती आबादी भूमि है, जिसके विशेष हिस्से का पट्टा गैर निगरानीकार नंबर 1 ने ग्राम पंचायत से प्राप्त कर लिया। उक्त पट्टा बनवाते समय निगरानीकार व अन्य हिस्सेदारों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही कोई सूचना दी गई। शामलाती भूमि का आज तक कोई विभाजन नहीं हुआ है। गैर निगरानीकार उक्त पट्टे के आधार पर बिना विभाजन हुये पुश्तैनी शामलाती भूखण्ड को विक्रय करना चाहता है जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है। पंचायत ने उक्त भूखण्ड का नाप व हदुद भी गलत दर्ज कर रखी हैं। नियमों के विरूद्ध जाकर पट्टा जारी किया गया है। गैर निगरानीकार नंबर 1 का जितनी भूम का पट्टा बनाया है उतना हिस्सा भी नहीं बनता है। उक्त पट्टा अस्तित्व में रहने से निगरानीकार गंभीर रूप से प्रभावित होता है। उक्त पट्टा गैर निगरानीकार नंबर 1 ने तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया है, इसलिए निगरानीकार उक्त गलत बने पट्टे को निरस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त पट्टे का आज तक पंजीयन भी नहीं हुआ है। अतः निगरानी स्वीकार कर गैर निगरानीकार रामदेव के हक में दिनांक 03.07.2017 को जारी पट्टा निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 17:02:15 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार नंबर 1 की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत कुलोदकला द्वारा राज पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

157 के अन्तर्गत गैर निगरानीकार के आबादी भूमि में पुराने कब्जे के आधार पर विधिक प्रक्रिया अपनायी जाकर जारी किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत कुलोदकलां द्वारा गैर निगरानीकार नंबर–1 को जारी उक्त विवादित पट्टे के संबंध में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का मुख्य कथन यह रहा है कि गैर निगरानीकार नंबर 1 ने निगरानीकार व अन्य हिस्सेदारों की शामलाती आबादी भूमि का अकेले ने अपने हिस्से से ज्यादा का ग्राम पंचायत कुलोदकलां से तथ्य छुपाकर पट्टा प्राप्त कर लिया, लेकिन निगरानीकार द्वारा पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे साबित होता हो कि विवादित भूखण्ड की भूमि निगरानीकार एं गैरनिगरानीकार की शामलाती कब्जे की भूमि रही हो और उसमें निगरानीकार का भी हिस्सा/कब्जा/मकानात आदि हैं। ना ही निगरानी में यह अंकित किया गया कि गैर निगरानीकार नंबर–1 ने अपने हिस्से से कितने हिस्से का ज्यादा पट्टा बनवा लिया, केवल निगरानीकार के मौखिक कथनों ''की विवादित भूखण्ड निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार व अन्य हिस्सेदारी की शामलाती भूमि है'', आधार पर ग्राम पंचायत कुलोदकलां द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं समझता। ग्राम पंचायत कुलोदकलां के द्वारा श्री रामदेव गैर निगरानीकार नंबर–1 को जारी उक्त पट्टे की पत्रावली के अवलोकन से ग्राम पंचायत कुलोदकलां द्वारा सभी औपचारिकताएं एवं विधिक प्रक्रिया पूर्ण की जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत कुलोदकलां को भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 28.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 17:02:15 IST
Reason: SelfAttested